

# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस-नोट सं0-52, दिनांक-18-02-2024

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 341/2016 में वाँछित रु0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अश्वनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिन्टू जनपद मऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 17-02-2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 341/2016 धारा 223/224 भादवि में वाँछित पेशी से फरार रु0 50,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी अश्वनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिन्टू को जनपद मऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- अश्वनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिन्टू पुत्र महेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम ओहनी, थाना महनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

## बरामदगी:

- 01 अदद गाड़ी फार्चूनर यू0पी0-65-ईएक्स-0100
- 01 अदद मोबाइल फोन

## गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक/समय

स्थान— थाना क्षेत्र चिरयाकोट, जनपद मऊ, दिनांक 17-02-2024 समय 21:05 बजे

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर हत्या करने व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री सत्यसेन, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 341/2016 धारा 223/224 भादवि में वाँछित रु0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्वनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिन्टू चिरयाकोट, जनपद मऊ में किसी काम से आया है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री दीपक सिंह, उपनिरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, मु0आ0 शमशेर व मु0आ0 भूपेन्द्र, जो आराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद मऊ में भ्रमणशील थे, ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुख्यबिर द्वारा बताये गये स्थान से उपरोक्त अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी सिंह ने बताया कि उसके ऊपर थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0 341/2016 धारा 223/224 भादवि का अभियोग पंजीकृत हो गया था, जिसमें वह जेल चला गया था। मौका पाकर पेशी से मेर्वर्ष 2016 में

भाग गया था। उसके ऊपर इनाम घोषित हो गया था जिसपर वह नाम बदल—बदल कर अलग—अलग स्थानों पर रह रहा था। आज किसी काम से अपने घर आया था कि पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 341/2016 धारा 223/224 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

---